



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-03012026-269082
CG-OR-E-03012026-269082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5931]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5931]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 31 दिसम्बर, 2025

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 6141(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 696/17-19 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-387 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/टेक्नाली को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 696/17-19 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-387 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन

प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 696/17-19 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-387 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य: श्रीकाकुलम, और आंध्र प्रदेश

(अनुलग्नक1)

क्र.सं	गांव का नाम	सर्वे नंबर/ एल. पी. एम. नंबर	एकड़ में कुल क्षेत्रफल	एकड़ में अधिग्रहित क्षेत्र	वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	बुरागम	451	3.36	0.02	पोराम्बोक भूमि	सरकारी भूमि (ग्रामा कांतम)
2	बुरागम	452-4	0.09	0.06	सूखी भूमि	निजी भूमि
3	बुरागम	452-5	0.05	0.04	सूखी भूमि	निजी भूमि
4	बुरागम	452-7	0.05	0.04	सूखी भूमि	निजी भूमि
5	बुरागम	452-8	0.05	0.03	सूखी भूमि	निजी भूमि
6	बुरागम	452-9	0.05	0.03	सूखी भूमि	निजी भूमि
7	बुरागम	452-10	0.06	0.06	पोराम्बोक भूमि	सरकारी भूमि (गोरजा)
8	बुरागम	452-12	0.1	0.04	सूखी भूमि	निजी भूमि
9	बुरागम	452-13	0.11	0.05	सूखी भूमि	निजी भूमि
10	बुरागम	452-14	0.34	0.04	सूखी भूमि	निजी भूमि
11	बुरागम			0.04	सूखी भूमि	निजी भूमि
12	बुरागम			0.05	सूखी भूमि	निजी भूमि
13	बुरागम	490-9	0.16	0.05	सूखी भूमि	निजी भूमि
14	बुरागम	490-7	0.08	0.03	सूखी भूमि	निजी भूमि
15	बुरागम	490-6	0.2	0.04	सूखी भूमि	निजी भूमि
16	बुरागम	490-5	0.22	0.06	सूखी भूमि	निजी भूमि
17	बुरागम	490-4	0.46	0.08	सूखी भूमि	निजी भूमि
18	बुरागम			0.03	सूखी भूमि	निजी भूमि

19	बुरागम	490-3	0.26	0.14	सूखी भूमि	निजी भूमि
20	बुरागम			0.07	सूखी भूमि	निजी भूमि
21	बुरागम	490-2	0.25	0.07	सूखी भूमि	निजी भूमि
22	बुरागम	491-16	0.56	0.17	सूखी भूमि	निजी भूमि
23	बुरागम	491-17	0.22	0.01	सूखी भूमि	निजी भूमि
24	बुरागम	491-18	0.17	0.11	पोराम्बोक भूमि	सरकारी भूमि (गोरजा)
25	बुरागम	467-1	5.28	0.18	गीली भूमि	निजी भूमि
26	बुरागम			0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
27	बुरागम	467-7	0.42	0.12	गीली भूमि	निजी भूमि
28	बुरागम	497-8	0.12	0.12	गीली भूमि	निजी भूमि
29	बुरागम	468-7	1.36	0.14	गीली भूमि	निजी भूमि
30	बुरागम			0.13	गीली भूमि	निजी भूमि
31	बुरागम	468-9	0.52	0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
32	बुरागम	468-10	0.18	0.11	गीली भूमि	निजी भूमि
33	बुरागम	484-1	1.55	0.18	सूखी भूमि	निजी भूमि
34	बुरागम			0.23	सूखी भूमि	निजी भूमि
35	बुरागम			0.19	सूखी भूमि	निजी भूमि
36	बुरागम	484-3	0.28	0.14	सूखी भूमि	निजी भूमि
37	बुरागम	484-4	0.15	0.15	सूखी भूमि	निजी भूमि
38	बुरागम	469	0.26	0.26	पोराम्बोक भूमि	सरकारी भूमि (गोरजा)
39	बुरागम	471-1	1.12	0.04	गीली भूमि	निजी भूमि
40	बुरागम	470-1	0.56	0.13	गीली भूमि	निजी भूमि
41	बुरागम	470-2	2.98	0.49	पोराम्बोक भूमि	सरकारी भूमि (चेरुवु)
42	बुरागम	482-19	0.64	0.01	सूखी भूमि	निजी भूमि
43	बुरागम	465-5	2.12	0.08	गीली भूमि	निजी भूमि
44	बुरागम			0.06	गीली भूमि	निजी भूमि
45	बुरागम			0.04	गीली भूमि	निजी भूमि
46	बुरागम			0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
	Total Extent			4.19		

[फा. सं. CAO/CON/RSP/WAT/ROBs/387/20A/]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
East Coast Railway (Construction)
NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 31st December, 2025

Notice under Section 20A of the Railways Act - 1989

S.O. 6141(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-387 at Km 696/17-19 between Pundi - Naupada on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition (CALA) i.e. The Revenue Divisional officer (RDO), Tekkali for Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-387 at Km 696/17-19 between Pundi - Naupada on Main Line of Waltair Division**” in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-387 at Km 696/17-19 between Pundi - Naupada on Main Line of Waltair Division” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

(Annexure-I)

Sl.No	Name of the Village	LP No /Sy-Sub-Div No.	Total extent in acres	Extent under Acquisition in Acres	Classification	Type of land
1	Buragam	451	3.36	0.02	Poramboku Land	Government Land (Grama Kantam)
2	Buragam	452-4	0.09	0.06	Dry Land	Private Land
3	Buragam	452-5	0.05	0.04	Dry Land	Private Land
4	Buragam	452-7	0.05	0.04	Dry Land	Private Land
5	Buragam	452-8	0.05	0.03	Dry Land	Private Land
6	Buragam	452-9	0.05	0.03	Dry Land	Private Land
7	Buragam	452-10	0.06	0.06	Poramboku Land	Government Land (Gorja)
8	Buragam	452-12	0.1	0.04	Dry Land	Private Land
9	Buragam	452-13	0.11	0.05	Dry Land	Private Land
10	Buragam	452-14	0.34	0.04	Dry Land	Private Land
11	Buragam			0.04	Dry Land	Private Land
12	Buragam			0.05	Dry Land	Private Land
13	Buragam	490-9	0.16	0.05	Dry Land	Private Land

14	Buragam	490-7	0.08	0.03	Dry Land	Private Land
15	Buragam	490-6	0.2	0.04	Dry Land	Private Land
16	Buragam	490-5	0.22	0.06	Dry Land	Private Land
17	Buragam	490-4	0.46	0.08	Dry Land	Private Land
18	Buragam			0.03	Dry Land	Private Land
19	Buragam	490-3	0.26	0.14	Dry Land	Private Land
20	Buragam			0.07	Dry Land	Private Land
21	Buragam	490-2	0.25	0.07	Dry Land	Private Land
22	Buragam	491-16	0.56	0.17	Dry Land	Private Land
23	Buragam	491-17	0.22	0.01	Dry Land	Private Land
24	Buragam	491-18	0.17	0.11	Poramboku Land	Government Land (Gorja)
25	Buragam	467-1	5.28	0.18	Wet Land	Private Land
26	Buragam			0.01	Wet Land	Private Land
27	Buragam	467-7	0.42	0.12	Wet Land	Private Land
28	Buragam	497-8	0.12	0.12	Wet Land	Private Land
29	Buragam	468-7	1.36	0.14	Wet Land	Private Land
30	Buragam			0.13	Wet Land	Private Land
31	Buragam	468-9	0.52	0.01	Wet Land	Private Land
32	Buragam	468-10	0.18	0.11	Wet Land	Private Land
33	Buragam	484-1	1.55	0.18	Dry Land	Private Land
34	Buragam			0.23	Dry Land	Private Land
35	Buragam			0.19	Dry Land	Private Land
36	Buragam	484-3	0.28	0.14	Dry Land	Private Land
37	Buragam	484-4	0.15	0.15	Dry Land	Private Land
38	Buragam	469	0.26	0.26	Poramboku Land	Government Land (Gorja)
39	Buragam	471-1	1.12	0.04	Wet Land	Private Land
40	Buragam	470-1	0.56	0.13	Wet Land	Private Land
41	Buragam	470-2	2.98	0.49	Poramboku Land	Government Land (Cheruvu)
42	Buragam	482-19	0.64	0.01	Dry Land	Private Land
43	Buragam	465-5	2.12	0.08	Wet Land	Private Land
44	Buragam			0.06	Wet Land	Private Land
45	Buragam			0.04	Wet Land	Private Land
46	Buragam			0.01	Wet Land	Private Land
	Total Extent			4.19		

[F. No. CAO/CON/RSP/WAT/ROBs/387/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Cons-II)